

समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :- श्री राजेन्द्र कुमार-IV, एच०जे०एस०, ——अध्यक्ष।

अन्तरण प्रार्थना—पत्र संख्या-211/18—वर्ष 09-10 प्रान्तीय

मैसर्स पी०एन०सी०इन्फार्मेटिक लिमिटेड, डी-51, कमला नगर, आगरा।

बनाम



(आवेदक की ओर से श्री पुनीत कुमार, अधिवक्ता)
(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार उपस्थित आये तथा विभाग की तरफ से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि उपस्थित आये।

संक्षिप्तः प्रार्थना—पत्र में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी एक सिविल संविदाकार है और उसके द्वारा केवल शासकीय विभागों जैसे पी०डब्लू०डी०, एन०एच०ए०आई० आदि के लिए हाईवेज, सड़क आदि की निर्माण संविदाओं का निष्पादन कार्य किया जाता है। आवेदक की ओर से प्रथम अपील संख्या-20/15 वर्ष 09-10 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ निस्तारण हेतु लम्बित है। अपील में विवादित बिन्दुओं पर अधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आवेदक फर्म के पक्ष में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बिन्दुओं को छोड़कर अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर नोटिस जारी करके कर वृद्धि की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार के कार्य एवं व्यवहार से प्रार्थी को आशंका है कि वर्तमान अपीलीय अधिकारी से प्रार्थी को न्याय न मिले। उपरोक्त आधार पर प्रथम अपील संख्या-20/15 वर्ष 09-10 प्रा० को आगरा के किसी अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना—पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा की आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके द्वारा मामले में तर्कसंगत व युक्तियुक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए वैट अधिनियम की धारा-55(5)(a)(ii) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है, जो अधिनियम के प्राविधानों के तहत विधि सम्मत है। यह भी उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना—पत्र पर उभय पक्षों को विस्तृत रूप से सुना। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक की ओर से अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ लम्बित प्रथम अपील को इस आधार पर अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को निस्तारण हेतु अन्तरित करने का निवेदन किया गया है कि उन्हें आशंका है कि अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से उन्हें न्याय नहीं मिल प्रायेगा। अन्तरण प्रार्थना—पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा द्वारा प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में आक्षेपों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों के मध्य न्याय पर आस्था बनी रही। अतः मामले में निहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में प्रथम अपील संख्या-20/15 वर्ष 09.10 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से अन्तरित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना—पत्र 211/18 स्वीकार किया जाता है। प्रथम अपील संख्या-20/15 वर्ष 09-10 प्रान्तीय, अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से वापिस लेकर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील)-प्रथम वाणिज्य कर झाँसी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रथम अपील वरीयता के आधार पर तीन माह के अन्दर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 07 :मार्च—2018

ह०-7.03.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :- श्री राजेन्द्र कुमार-IV, एच०जे०एस०, ——अध्यक्ष।
अङ्गरथ प्रार्थना-पत्र संख्या-212/18—वर्ष 10-11 प्रा०

संस्कृत प्र० एन० सी० इन्फोटैक लिमिटेड, डी-५१ कमला नगर, आगरा।

बनाम

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :- (आवेदक की ओर से श्री पुनीत कुमार, अधिवक्ता)
(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार उपस्थित आये तथा विभाग की तरफ से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि उपस्थित आये।

संक्षिप्त: प्रार्थना-पत्र में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी एक सिविल संविदाकार है और उसके द्वारा केवल शासकीय विभागों जैसे पी०डब्लू०डी०, एन०एच०ए०आई० आदि के लिए हाईवेज, सड़क आदि की निर्माण संविदाओं का निष्पादन कार्य किया जाता है। आवेदक की ओर से प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0927/2015 वर्ष 10-11 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ निस्तारण हेतु लम्बित है। अपील में विवादित बिन्दुओं पर अधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आवेदक फर्म के पक्ष में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बिन्दुओं को छोड़कर अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर नोटिस जारी करके कर वृद्धि की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार के कार्य एवं व्यवहार से प्रार्थी को आशंका है कि वर्तमान अपीलीय अधिकारी से प्रार्थी को न्याय न मिले। उपरोक्त आधार पर प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0927/2015 वर्ष 10.11 प्रा० को आगरा के किसी अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा की आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके द्वारा मामले में तर्कसंगत व युक्तियुक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए वैट अधिनियम की धारा-55(5)(a)(ii) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है, जो अधिनियम के प्राविधानों के तहत विधि सम्मत है। यह भी उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्षों को विस्तृत रूप से सुना। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक की ओर से अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ लम्बित प्रथम अपील को इस आधार पर अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को निस्तारण हेतु अन्तरित करने का निवेदन किया गया है कि उन्हें आशंका है कि अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से उन्हें न्याय नहीं मिल पायेगा। अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा द्वारा प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में आक्षेपों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों के मध्य न्याय पर आस्था बनी रही, अतः मामले में निहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0927/2015 वर्ष 10-11 प्रान्तीय, अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से अन्तरित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना-पत्र 212/18 स्वीकार किया जाता है। प्रथम अपील संख्या- प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0927/2015 वर्ष 10-11 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से वापिस लेकर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील)-प्रथम वाणिज्य कर झाँसी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रथम अपील वरीयता के आधार पर तीन माह के अन्दर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 07 :मार्च-2018

ह०-07.03.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :- श्री राजेन्द्र कुमार-IV, एच०जे०एस०, ——अध्यक्ष।
अन्तरण प्रार्थना—पत्र संख्या-213/18 ————— वर्ष 11-12 प्रा०
मेसर्स पी०एन०सी० इन्फार्टैक लिमिटेड, डी-51 कमला नगर आगरा।

बनाम

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :- (आवेदक की ओर से श्री पुनीत कुमार, अधिवक्ता)
(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

मत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार उपस्थित आये तथा विभाग की तरफ से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि उपस्थित आये।

संक्षिप्तः प्रार्थना—पत्र में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी एक सिविल संविदाकार है और उसके द्वारा केवल शासकीय विभागों जैसे पी०डब्ल०डी०, एन०एच०ए०आई० आदि के लिए हाईवेज, सड़क आदि की निर्माण संविदाओं का निष्पादन कार्य किया जाता है। आवेदक की ओर से प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0928/2015 वर्ष 11-12 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ निस्तारण हेतु लम्बित है। अपील में विवादित बिन्दुओं पर अधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आवेदक फर्म के पक्ष में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बिन्दुओं को छोड़कर अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर नोटिस जारी करके कर वृद्धि की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार के कार्य एवं व्यवहार से प्रार्थी को आशंका है कि वर्तमान अपीलीय अधिकारी से प्रार्थी को न्याय न मिले। उपरोक्त आधार पर प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0928/2015 वर्ष 11-12 प्रा० को आगरा के किसी अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना—पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा की आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके द्वारा मामले में तर्कसंगत व युक्तियुक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए वैट अधिनियम की धारा-55(5)(a)(ii) के अर्त्तगत नोटिस जारी की गयी है, जो अधिनियम के प्राविधानों के तहत विधि सम्मत है। यह भी उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना—पत्र पर उभय पक्षों को विस्तृत रूप से सुना। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक की ओर से अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा के यहाँ लम्बित प्रथम अपील को इस आधार पर अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को निस्तारण हेतु अन्तरित करने का निवेदन किया गया है कि उन्हें आशंका है कि अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से उन्हें न्याय नहीं मिल पायेगा। अन्तरण प्रार्थना—पत्र पर अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा द्वारा प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रथम अपील किसी अन्य अपीलीय अधिकारी को हस्तान्तरित कर जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में आक्षेपों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों के मध्य न्याय पर आस्था बनी रही, अतः मामले में निहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0928/2015 वर्ष 11-12 प्रा० अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से अन्तरित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना—पत्र 213/18 स्वीकार किया जाता है। प्रथम अपील संख्या-AGR 2/0928/2015 वर्ष 11-12 प्रान्तीय, अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)-2 वाणिज्य कर आगरा से वापिस लेकर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील)-प्रथम वाणिज्य कर झाँसी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रथम अपील वरीयता के आधार पर तीन माह के अन्दर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 07 :मार्च—2018

ह०-07.3.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।